न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/82/2019

प्रवेश तिथि 28.08.19

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.09.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.07.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को जिला कलक्टर (सतर्कता) अलवर कार्यालय का पत्रांक 770 दि. 03.05.19 के तहत उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को परिवाद में अंकित बिन्दूओं पर नियमानुसार कार्यवाही कर परिवादी को अपने स्तर से सूचित करने हेतु मूल ही प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.07.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.08.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/648–49 दिनांकः 28.08.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 05.09.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र दिनांकः 05.09.19के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के बाद प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। उभय पक्ष अनुपस्थित आये।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 23.07.19 पर अपीलार्थी को प्रेषित पत्रांक लोकसूचना/19/1151 दि. 14.08.19 के माध्यम से "अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जिला कलक्टर (सतर्कता) अलवर कार्यालय का पत्रांक 770 दि. 03.05.19 के संबंध में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी की आवक शाखा लिपिक से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट में उक्त पत्र कार्यालय को प्राप्त होना नहीं बताया गया है। पत्र प्राप्त नहीं होने की ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

अपीलार्थी को लिखा गया'' बावजूद इसके अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त वांछित पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर ही प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सकती थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दि0 23.07.2019 पर पूर्व में निश्चय लिया जा चुका है।

7. उक्त आलोक अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)